संख्या-24/2026/ 49-3099/35/2025/(I/1281635/2026)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी-पैक्स उन्नयन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 400.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 574/लेखा-अ/2025-26, दिनांक 24.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी-पैक्स उन्नयन योजनान्तर्गत अवमुक्त तृतीय किश्त धनराशि रूपये 400.00 लाख के जिलावार उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराते हुए बी-पैक्स उन्नयन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में ''बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन योजनान्तर्गत'' मुख्य लेखाशीर्ष 2425-सहकारिता, 108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 05- बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन, 20 - सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1600.00 लाख के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या- I/1156889/2025, दिनांक 27.11.2025 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0 400.00 लाख एवं पत्र संख्या- I/1244424/2026, दिनांक 19.02.2026 के माध्यम से द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 400.00 लाख तथा पत्र संख्या- I/1270264/2026, दिनांक 18.03.2026 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रूपये 400.00 लाख के निर्गतोपरान्त अवशेष धनराशि रू0 400.00 लाख(रूपये चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम/ शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम / शर्ते / प्रतिबंध :-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित शासन के पत्र संख्या- I/1144655/2025, दिनांक 17.11.2025 एवं पत्र संख्या- I/ 1241787/2026, दिनांक 17.02.2026 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स/ दिशा- निर्देशों तथा इस संबंध में समय- समय पर निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि0/ उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-18 के अधीन वाशीर्षक 2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 05- बहुउद्देशीय श्रमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी- पैक्स) का उन्नयन, 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-2-255-X-2025-26-दिनांक:26-3-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज/लखनऊ।
2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
6) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।